

**कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
नवा रायपुर अटल नगर जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)**

क्रमांक 39037 472 /स्था./प्र.अ./23(P-1) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/04/2025

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 3-10/2014/19/स्था.-2 दिनांक 17.10.2024 द्वारा उपअभियंता (सिविल) के 86 एवं उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 16 इस प्रकार कुल 102 रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक 1565/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 14.05.2024 (वित्त निर्देश 11/2024) द्वारा दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त किया गया तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2024/आ.प्र./1-3, दिनांक 31.05.2024 द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों में प्रतिवर्ष उद्भूत होने वाली रिक्तियों के आधार पर, दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से किये जाने के निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजन विशेष भर्ती के तहत उपअभियंता (सिविल) के 10 एवं उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 01 पद भरा जाना है।

इस प्रकार उपअभियंता (सिविल) के 96 एवं उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 17 कुल 113 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर के वेबसाईट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in/> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।

रिक्त पदों का विवरण

(A) सामान्य रिक्तियां :-

उपअभियंता (सिविल) पद की संख्या – 86

स. क्र.	वर्ग	पदों की कुल संख्या	कुल पदों में महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनारक्षित	35	10	3	3 (HH) 3 (OA, OL)
2	अनुसूचित जाति	9	3	1	
3	अनुसूचित जनजाति	25	8	2	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	3	1	
	योग	80	24	7	6

उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) पद की संख्या – 16

स. क्र.	वर्ग	पदों की कुल संख्या	कुल पदों में महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनारक्षित	6	2	-	1 (HH)
2	अनुसूचित जाति	2	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	5	1	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	-	-	
	योग	15	3	-	1 (HH)

(B) बैकलॉग रिक्तियां (दिव्यांगजन विशेष भर्ती) :-

उपअभियंता (सिविल) के रिक्त पदों की संख्या – 10 (दिव्यांगजन विशेष भर्ती – बैकलॉग पद)

स. क्र.	वर्ग	बैकलॉग पदों की कुल संख्या	कुल पदों में महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनारक्षित	8 (HH)	-	-	8 (HH)
2	अनुसूचित जाति	2 (OA, OL)	-	-	2 (OA, OL)
3	अनुसूचित जनजाति		-	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		-	-	
	योग	10	-	-	10

(HH=श्रवण बाधित), OA=एक बाजू, OL=एक पैर, अस्थि बाधित)

उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के रिक्त पदों की संख्या – 01 (दिव्यांगजन विशेष भर्ती – बैकलॉग पद)

स. क्र.	वर्ग	बैकलॉग पदों की कुल संख्या	कुल पदों में महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनारक्षित	1 (OL)	-	-	1 (OL)
2	अनुसूचित जाति		-	-	
3	अनुसूचित जनजाति		-	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		-	-	
	योग	1	-	-	1

(OL=एक पैर)

कुल योग – (A) सामान्य रिक्तियां + (B) बैकलॉग रिक्तियां :-

कुल उपअभियंता (सिविल) पदों की संख्या – 96 (86 + 10)

स. क्र.	वर्ग	पदों की कुल संख्या	कुल पदों में महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनारक्षित	35	10	3	3 (HH) 3 (OA, OL)
2	अनुसूचित जाति	9	3	1	
3	अनुसूचित जनजाति	25	8	2	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	3	1	
योग (सामान्य रिक्तियाँ)		86 (6 दिव्यांग)	24	7	6
योग (बैकलॉग रिक्तियाँ)		10 (दिव्यांग)	-	-	10
कुल योग		96	24	7	16 (11 HH, 05 OA, OL)

कुल उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) पदों की संख्या – 17 (16 + 01)

स. क्र.	वर्ग	पदों की कुल संख्या	कुल पदों में महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनारक्षित	6	2	-	1 (HH)
2	अनुसूचित जाति	2	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	5	1	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	-	-	
योग (सामान्य रिक्तियाँ)		16 (1 दिव्यांग)	3	-	1
योग (बैकलॉग रिक्तियाँ)		1 (दिव्यांग)	-	-	1
कुल योग		17	3	-	2 (1 HH, 1 OL)

यह सभी नियुक्तियों माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्ययीन होगी।

नियम एवं शर्तें :-

(1) वेतनमान का विवरण –

स.क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स एवं लेवल	
		वेतनमान	लेवल
(1)	उपअभियंता (सिविल)	35400-112400	8
(2)	उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	35400-112400	8

(2) शैक्षणिक योग्यता –

स.क्र.	पदनाम	छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची-तीन में विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	उपअभियंता (सिविल)	राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण।
(2)	उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण।

(3) पात्रता की शर्तें –

- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र, काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जाँच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें। अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरे। परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(4) आयु –

- दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सीधी भर्ती में किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला-रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 03.08.2024 में दिये गये निर्देशानुसार)
- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के निर्देशानुसार)।
- उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिलनीय होगी :-
 - ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
 - ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :-

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :-
 - (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
 - (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं)।
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छःमाह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु-सीमा में, 08 वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- (ज) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- टीप -** (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 4 के खंड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(5) निरर्हता -

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये, परंतु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा : परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।
- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 04.12.2012 के निर्देशानुसार रखा गया है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3, दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।

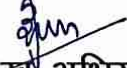
3. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण नियमों का पालन करने हेतु किसी भी संवर्ग में पदों की सीधी भरती के समय प्रत्येक प्रवर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना की जाएगी। पदों की गणना केवल पूर्णांकों के अनुसार ही की जाएगी। अर्थात् पदों की संख्या की गणना में दशमलव के अंक को मान्य नहीं किया जाएगा।
4. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 27.09.2014 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, परिशिष्ट-I में दिये गये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश लागू रहेगी।
5. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 01-1/2017/1-3 दिनांक 11.09.2023 के अनुसार – शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध – भारतीय दण्ड संहिता, 1986 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 493 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जावेगा।
6. छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी तथा उपरोक्त पदों हेतु विभाग को पदवार मेरिट सूची उपलब्ध करायी जावेगी।
7. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.) को होगा।
9. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।
12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
13. छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2016 के अनुसूची-एक के अनुसार उपअभियंता (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिकी) का पद "अराजपत्रित राज्य संवर्ग" है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग/कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ भवन संभाग, नई दिल्ली के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना दी जावेगी।
14. चयन के लिए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियों को काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों को भी अपने साथ लाना होगा।
16. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
17. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य है।
18. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों, अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो, या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो, तो वे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। काउंसिलिंग के समय उन्हें नियोक्ता का "अनापत्ति प्रमाण पत्र" विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
19. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

20. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
21. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
22. प्रतीक्षा सूची, मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी।
23. व्यापम द्वारा ऑनलाईन एडमिट कार्ड जारी किया जावेगा। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा।
24. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
25. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के अलावा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र की मांग आवेदकों से नहीं की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 के कंडिका-6 (2) के अनुसार "आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जावेगा, जिसमें प्रमाण-पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू राजस्व की भौति वसूल किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

26. विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
27. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। अतः Online आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
28. छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2016, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 (यथासंशोधित) लागू होगी।

परीक्षा निर्देश - छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in/> पर उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई है।


प्रमुख अभियंता
 लोक निर्माण विभाग
 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
